न्यायालय— उप जिला कलेक्टर उपखण्ड किशनगंज जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :— श्री चन्दन दुबे (आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या:— 45/2019
दायरा दिनांक :— 04. 11. 2019
निर्णय दिनांक :— 02. 12. 2019

बउनवान

पन्ना लाल पुत्र नरसिंह जाति सहरीया निवासी जनकपुर तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज.)

प्रार्थी

—:बनाम:—

राजस्थन सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज.)

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट</u>

निर्णय दिनांक:— 02. 12. 2019

प्रार्थी पन्ना लाल ने अप्रार्थी तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने ग्राम बालापुरा उर्फ जनकपुर पटवार हल्का रामपूर टौडिया के खसरा नं. किता 4 की 14 बीघा 19 बिस्वा में से हिस्सा 1/5 आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21. 04 2014 को खरीदी थी परन्तु खाते मे हिस्से दर्ज नहीं होने के कारण उसका इन्तकाल प्रार्थी के नाम नहीं खुल सका है। जिसका मुख्य कारण खाते में हिस्सा दर्ज न होना रहा है। कृपया जमाबन्दी ग्राम बालापुरा उर्फ जनकपुर पटवार हल्का रामपुर टोडिया के खाता नं. 4 सम्वत् 2035—2038 का अवलोकन करें।

अतः निवेदन है कि उक्त जमाबन्दी के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी मे सह खातेदारान के हिस्से दर्ज करवाने की कृपा करें। ताकि रजिस्टर्ड विकय पत्र का अमल हो सके।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर अप्रार्थी की ओर से न्यायालय के समक्ष इस आशय प्रार्थना पेश हुआ कि ग्राम जनकपुर उर्फ बालापुरा में खसरा नं. 93/1.14, 106/4.02, 117/7.10, 151/1.13, किता 4 की 14 बीघा 19 बिस्वा वर्तमान खाता संख्या 26 सम्वत् 2072 से 75 में प्रीतम, मांगीलाल पुत्र फैलू, केशर, प्रेम पुत्रीया फैलू, नैनगी बेवा फैलू, काशीराम, सरिया, रामचरण पुत्रान फागू, रामकुंवरी, रशीदा गंगा, गुड्डी पुत्रीयां फागू, सहोदरी बैवा फागू, कालू पुत्र हल्कू, पांचू पुत्र असाड़िया, मांगी पुत्री

..... 2

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

असाड़िया कौम सहरीया (भील) हि. बरा. सा0 देह के नाम दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के सेटलमेंट जमाबन्दी खाता सम्वत 2016 से 2035 में उपरोक्त ख. नं. किता 4 रकबा 14–19 बीघा असाड़िया वल्द तेज्या कौम भील सा0 देह के नाम दर्ज था नमान्तकरण सं. 11 दिनांक 20.01.1977 से असाड़िया के फोत होने पर फैलू , फागू, पांचू हल्कू पुत्र एवं मांगी, कल्लो पुत्रीयां तीजो बेवा असाड़िया कुल 7 वारिसान दर्ज हुये नामान्तकरण सं. 38 दिनांक 05. 09. 1998 से मृतक कल्लो व तीजो का नाम हटाकर शेष पांच हिस्सेदारो मे मृतकों का हिस्सा हस्तानान्तरण हुआ है अतः वर्तमान खातें मे हिस्सा स्पष्ट दर्ज नही होने के कारण मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के सभी पांच सहखातेदारों पक्षकारों के हिस्सा दर्ज करने हैतु उचित आदेश किया जावे ।

रिपोर्ट सरीस्ता ली जाकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 दर्ज किया जाकर सह खातेदारान की तलबी की गई। नियत तिथि पर सह खातेदारान कालू, प्रीतम, मांगी लाल तथा पांचू के पुत्र रामदयाल के बयान लेखबद्व किये गये जाकर शामिल फाईल किये गये।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओं को दोहराया एवं अप्रार्थी पैरोकार सरकर ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया। पत्रावली मे उपलब्ध हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड सेटलमेंट एवं सह खातेदारान कालू, प्रीतम, मांगी लाल तथा पांचू के पुत्र रामदयाल के बयानों का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रत्येक सहखातेदरान ने अपने बयानो में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुष्टि कर उसका समर्थन किया है और इसी अनुसार अपना–अपना हिस्सा दर्ज करवाने का निवेदन किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि

–:कियात्मक आदेश:–

वाकै ग्राम जनकपूर उर्फ बालापुरा पटवार हल्का रामपुर टोडिया तहसील किशनगंज जिला बांरा में स्थित आराजी खाता संख्या 26 खसरा नं. 93/1.14, 106/4.02, 117/7.10, 151/1.13, किता 4 की 14 बीघा 19 बिस्वा में सह खातेदरान प्रीतम, मांगीलाल पुत्र फैलू केशर, प्रेम पुत्रीया फैलू, नैनगी बेवा फैलू हि. 1/5 बरा., काशीराम, सरिया, रामचरण पुत्रान फागू, रामकुंवरी, रशीदा गंगा, गुड्डी पुत्रीयां फागू, सहोदरी बैवा फागू हि. 1/5 बरा., कालू पुत्र हल्कू हि. 1/5, पांचू पूत्र असाड़िया हि. 1/5 , मांगी पुत्री असाड़िया हि. 1/5 के अनुसार चालू राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। निर्णय आज दिनांक 02. 12. 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.23 15:08:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner